न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–118/2015

CIS NO. TS-274/2018

नजाउ मियाँ.....वादी

बनाम

सुनीता देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
13.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2024 पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 11.09.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में फ्री सबुत के साथ प्रतिवादी सं0–06 बीबी रवजन्न्त खातुन की ओर से जमा किया जा रहा है। इस कागजात को प्रदर्श अंकित करना आवश्यक है, जो लोक अभिलेख है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं0–06 की ओर से दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने एवं मूल कागजात को न्यायालय की गोपनीय संचिका में रखने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 23.10.2024 को दाखिल कर कहा गया कि प्रतिवादी का आवेदन कानून की नजर में पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी के द्वारा वाद बिन्दु गठन के समय कागजात दाखिल नहीं किया गया है। वादी को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागया को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–118/2015

CIS NO. TS-274/2018

नजाउ मियाँ.....वादी

बनाम

सुनीता देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.11.2024	अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2024 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को ग्रहण करते हुए प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 20.11.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	